

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 7/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै वीपीआर माइनिंग इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिं, D. No. 8-2-293/82/A/1259, 3 rd तल, प्लॉट न. 1259, लक्ष्मी टोवर्स, रोड सं. 36, जुबिली हिल्स, हैदराबाद-500033 और श्री वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी, प्रबंध निदेशक, मै वीपीआर माइनिंग इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिं, D. No. 8-2-293/82/A/1259,	फा. सं. DRI/HZU/ 26E/Enq-25(Int- 19)/ 2017 दिनांक 09.01.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), चेन्नई-IV, कस्टम हाउस, चेन्नई. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (एयरपोर्ट & एड्मिनिस्ट्रेशन), कस्टम हाउस, कोलकाता. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, बशीरबाग, हैदराबाद.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), चेन्नई-IV, कस्टम हाउस, चेन्नई.

3 ^र तल, प्लॉट न. 1259, लक्ष्मी टोवर्स, रोड सं. 36, जुबिली हिल्स, हैदराबाद-500033			
--	--	--	--

[फा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-5/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतू।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ो (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे
4. तालिका के स्तंभ (2) वर्णित नोटिसी।